

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/51684/ALB/ALLAHABAD/853/CFO

दिनांक: 24-05-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. JOSEPH S SCHOOL SADWA KALA NAINI PRAYAGRAJ** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **-SADWA KALA NAINI, PRAYAGRAJ** तहसील - **KARCHHANA**, प्लॉट एरिया **10717.81 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **6383.82** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	12.98 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ST. JOSEPH S SCHOOL SADWA KALA NAINI PRAYAGRAJ** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **24-05-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JOSEPH SAGAYANATHAN jsahay315@gmail.com 9455295258** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-05-2022** से **23-05-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **ST. JOSEPH S SCHOOL SADWA KALA NAINI PRAYAGRAJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ST. JOSEPH S SCHOOL SADWA KALA NAINI PRAYAGRAJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1- सेटबैक के संबंध में सत्ताप्राधिकारी द्वारा निर्णय मान्य होगा/ अतएव शासन के पत्र संख्या 187/छ-पु-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07-01-2022 के आधार पर यह प्रमाण पत्र विद्यमान भवन के लिये निर्गत किया जा रहा है, भवन में ढाँचागत परिवर्तन / अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 2. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा। 3. प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन यंत्रों का शोधन कराकर फायरऑडिट कराना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAJEEV KUMAR PANDEY)

[C7C0F8C6D56D21BD60856AD7C1AB8855149594A4]

24-05-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 24-05-2022
स्थान : ALLAHABAD

Secretary
DIOCESE OF ALLAHABAD
EDUCATION SOCIETY
ALLAHABAD-201002

Manager
St. Joseph's School Diocese of Allahabad Education Society
531/1, Sadwa Kalan, Naini
Allahabad-211010

President

Principal
St. Joseph's School
531/1 Sadwa Kalan, Post: Sadwa Kalan,
Naini, Allahabad U.P. 211010